प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

विषय- के0जी0एम0यू0 के इमरजेन्सी विभाग के संचालन हेतु मानव श्रम शक्ति के पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4227/योजना/2017 दिनांक 25-07-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 के इमरजेन्सी विभाग के संचालन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एउशिनल प्रोफेसर) के 01 पद तथा सीनियर रेजीडेण्ट के 08 पद एवं जूनियर रेजीडेण्ट के 09 पद अर्थात कुल 18 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी 2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नांकित विवरण के अनुसार सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है :-

S.NO.	Name of post	No of Post	Pay band and grade payafter implemention of 6th CPC
1	Additional Professor (Prof. junior Grade)	01	PB-4 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs.46,000: Acdemic Grade Pay Rs. 9500 Level 13 A-2 7th CPA (Annexure-1 of MOHRD'S Order Dated 27-10-2017)
2	Senior Residents	08	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade pay Rs. 6600
3	Junior Residents	09	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade pay Rs. 5400
	Total -		

2- सृजित किये जा रहें पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव का होगा। पदों पद भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होने की दशा में ही भरे जायेगें। सृजित पदों को भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायगा कि एम0सी0आई0 की स्वीकृत प्राप्त हो गयी है।

4- इस सम्बंध् में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक " 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलौपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/2004/दस-2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 126/2018/2429(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0।
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0।
8. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 छठा तल योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।